पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13358

नबीन भारोस चौधरी, पुत्र-श्री रामचंद्र चौधरी निवासी , चंदौली, पी. ओ. निफ्सी निकासपुर, थाना-ताजपुर, जिला-समस्तीपुर

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य

2. बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने प्रबंध निदेशक के माध्यम से, शून्य सोन भवन, 5 वीं मंजिल, बीरचंद पटेल पथ, पटना-800001

3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचंद पटेल पथ, पटना-800001

4. बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचंद पटेल पथ, पटना-800001 में प्रमुख अधिप्राप्ति।

5. जिला प्रबंधक, खाद्य निगम लिमिटेड, समस्तीपुर

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

<u>हेडनोट</u>

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - उत्प्रेषण याचिका(रिट) - बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने समस्तीपूर जिले में परिवहन सह प्रबंधन एजेंटों की नियुक्ति के लिये निविदायों आमंत्रित किया। याचिकाकर्ता सहित तीन व्यक्तियों ने अपनी-

अपनी निविहायें प्रस्तुत की। तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों की निविदायों को अस्वीकृत कर दिया गया। याचिकाकर्ता के निविदा को सही पाकर याचिकाकर्ता को परिवहन सह संचलान एजेंट के रुप में नियुक्त कर संविदा पर हस्ताक्षर कर दिया गया। उसके बाद याचिकाकर्ता परिवहन सह संचालन एजेंट के रुप में काम करने लगा। दो वर्षों के बाद निगम ने दूसरे निविदाकार-दीपक कुमार के शिकायत पत्र की समीक्षा करते हुये दीपक कुमार को भी याचिकाकर्ता के अलावे परिवहन सह प्रबंधन एजेंट नियुक्त किया तथा आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को भी दीपक कुमार की तरह हीं कम दर पर काम करना पड़ेगा। औश्र पहले उच्च दर पर किये गये काम के किये कुल 1,54,37,557 रुपया याचिकाकर्ता को लौटाना पड़ेगा। इसी बात से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह रिट दाखिल किया - खंडपीठ ने पाया कि निगम ने बिना याचिकाकर्ता को नोटिस दिये ही मामलों को दो साल के बाद समीक्षा कर दिया - न्यायालय ने फिर आदेश दिया कि दीपक कुमार को फिर से वहीं मामला को उठाने से रोक होगा क्योंकि उनहोंने उच्च न्यायालय से बिना स्वतंत्रता मांगे उठाया था। न्यायालय के अनुसार, निगम के प्रबंध निदेशक ने एकतरफा निर्णय लेकर, याचिकाकर्ता को दीपक कुमार द्वारा उद्दत कम दर पर काम करने का निर्देश देकर पैसे की मांग कर एक अवैध आदेश पारित किया जिसे रद्द किया जाता है। निगाम को 1,54,37,557 रुपये मांगने का कोई अधिकार नहीं है। रिट (याचिका) स्वीकृत कर दी गयी। [पारा 1,4,10,24,26,27,28,29,30 और 31]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13358

नबीन भारोस चौधरी, पुत्र-श्री रामचंद्र चौधरी निवासी , चंदौली, पी. ओ. निफ्सी निकासपुर, थाना-ताजपुर, जिला-समस्तीपुर

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य

2. बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने प्रबंध निदेशक के माध्यम से, शून्य सोन भवन, 5 वीं मंजिल, बीरचंद पटेल पथ, पटना-800001

3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सोन भवन, 5 वीं मंजिल, बीरचंद पटेल पथ, पटना-800001

4. बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय सोन भवन, 5 वीं मंजिल, बीरचंद पटेल पथ, पटना-800001 में प्रमुख अधिप्राप्ति।

5. जिला प्रबंधक, खाद्य निगम लिमिटेड, समस्तीपुर

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए: श्री जितेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री अमरेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री गोपाल तिवारी, अधिवक्ता

श्री नितिन कुमार, अधिवक्ता

श्री यश सिंह, अधिवक्ता

श्री इशन सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिएः एजी-12 के ए सी श्री अरुण कुमार भगत

निगम के लिए: श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रॉय

कैव निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रॉय)

तिथि: 25.01.2024

पक्षों को सुना

2. वर्तमान याचिका को निम्नलिखित राहतों के अनुदान के लिए प्राथमिकता दी गई है:

(i) उत्प्रेक्षण-लेख या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए, ज्ञापन संख्या 9848 दिनांक 10.08.2015 वाले तर्कपूर्ण आदेश के उस हिस्से को रद्द करने के लिए। बिहार राज्य खाद्य और नागरिक

आपूर्ति निगम लिमिटेड (अब से संक्षिप्त में, 'निगम') के प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर के तहत जारी जिसके तहत निर्दिष्ट दूरी के लिए भुगतान के लिए अनुमोदित दर को प्रतिवादी निगम द्वारा याचिकाकर्ता के साथ लिखित समझौते की शर्तों के उल्लंघन में एकतरफा रूप से संशोधित किया गया है;

(ii) जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर के हस्ताक्षर के तहत जारी किए गए पत्र संख्या 1403 दिनांकित 10.08.2015 को रद्द करते हुए उत्प्रेषण-लेख या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए, जिसके तहत बाद में लागू होने वाली नई दरों को चयनीत, दीपक कुमार जो परिवहन-सह-संचालन कर्ता हैं याचिकाकर्ता पर भी लागू किया गया है, जो याचिकाकर्ता के हित के लिए हानिकारक है और उसे बिना किसी सूचना या सुनवाई के लागू किया गया है।

3. संकीर्ण घेरा में तथ्य इस प्रकार हैंः

4. 'प्रत्यर्थी निगम ने समस्तीपुर जिले में परिवहन-सह-प्रबंधन एजेंटों की नियुक्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता सहित तीन व्यक्तियों ने अपनी-अपनी निविदाएं प्रस्तुत कीं। इसके बाद प्रस्ताव खोले गए और तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और दीपक कुमार की निविदाओं को जिला परिवहन समिति (अब से संक्षिप्त में, 'समिति') द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, समस्तीपुर की अध्यक्षता में अपनी बैठक जो 11.11.2013 को हुआ में निश्यपयक कारणों से अस्वीकार कर दिया गया।

5. इसके बाद, निविदा प्रक्रिया अपने निष्कर्ष पर पहुंची और याचिकाकर्ता को 'प्रतिवादी निगम' द्वारा परिवहन सह संचालन एजेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए चुना

गया, जिसे जिला मजिस्ट्रेट, समस्तीपुर की अध्यक्षता में 14.11.2013 को आयोजित जिला परिवहन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई थी।

6. उपरोक्त निर्णय को 'प्रतिवादी निगम' द्वारा स्वीकार किया गया और लागू किया गया। तदनुसार, 'प्रतिवादी निगम' के मुख्यालय में मुख्य प्राप्तकर्ता (यानी प्रमुख अधीप्रपति) ने पत्र सं.- 11150 दिनांक 14.12.2013 के माध्यम से जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर को याचिकाकर्ता को परिवहन-सह-प्रबंधन एजेंट के रूप में नियुक्त करने और उसके साथ एक समझौता करने का निर्देश दिया।

7. 'प्रतिवादी निगम' के मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता के साथ समझौते के विभिन्न नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए 16.12.2013 को एक समझौता किया गया था।

8. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि समझौते में विशेष रूप से परिवहन के उद्देश्य से दूरी के विभिन्न स्लैब के लिए अनुमोदित दर प्रदान की गई थी। समझौते में उल्लेख किया गया है कि 'प्रतिवादी निगम' द्वारा दरों का कोई भी संशोधन याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी होगा, यदि वह इसकी स्पष्ट सहमति या निहित कार्रवाई से सहमत होता है।

9. जैसा कि कहा गया है, दीपक कुमार की निविदा को वर्ष 2013 में ही कुछ मामलों में काली सूची में शामिल होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 'निगम' ने वर्ष 2015 में उनके मामले की समीक्षा की और ज्ञापन संख्या 9848 दिनांकित 10.08.2015 में निहित एक आदेश पारित किया जो इसके प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया था जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि दीपक कुमार के मामले को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था और इस प्रकार याचिकाकर्ता के साथ परिवहन सह हैंडलिंग एजेंट के साथ उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किया गया

था। आदेश में आगे लिखा गया कि दीपक कुमार की दरें याचिकाकर्ता से कम होने के कारण, उक्त दरें याचिकाकर्ता पर भी लागू होंगी।

10. उपरोक्त आदेश दिनांक 10.08.2015 के आलोक में, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर द्वारा एक परिणामी आदेश पत्र सं. 1403 दिनांक 10.08.2015 के माध्यम से जारी किया गया था। जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि दीपक कुमार को परिवहन-सह-संचालन एजेंट के रूप में भी नियुक्त किया गया है और आगे की जानकारी के साथ कि उन्हें मुख्यालय द्वारा निर्दिष्ट दरों पर काम करना होगा जिस पर दीपक कुमार काम करने के लिए सहमत हुए हैं।

11. पीड़ित होकर, याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई थी।

12. इसके पश्वात्, 2019 का आई.एस. सं.01 को रिट याचिका में अनुरोध को जोड़ने के लिए प्राथमिकता दी गई, पत्र सं. 3081, दिनांकित 13.03.2019 के साथ ज्ञापन सं. 221 दिनांकित 14.03.2019 को चुनौती देते हुए, जो निगम के जिला प्रबंधक द्वा्वारा जारी किया गया था एवं जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को रु.1,54,37,557/- भुगतान की गई अतिरिक्त राशि के वापसी के रुप में, पाँच दिनों की अवधि के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया।

13. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री जितेंद्र सिंह प्रस्तुत करते हैं कि दरों को संशोधित करने में प्रतिवादी प्राधिकरण की कार्रवाई अनुबंध की शर्तों के विपरीत है। यह तय किया गया कानून है कि एक अनुबंध, विधिवत हस्ताक्षरित और निष्पादित, कानून लागू करने योग्य अधिकारों का निर्माण करता है। अनुबंध के अनुसार, 'प्रतिवादी निगम' द्वारा दर का संशोधन, यदि कोई हो, याचिकाकर्ता पर तभी लागू होगा जब वह व्यक्त सहमति या निहित आचरण द्वारा सहमत हो।

14. वह प्रस्तुत करता है कि इस मामले में, याचिकाकर्ता ने उक्त संशोधन को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया है कि यह उसके हित के लिए हानिकारक है और एक परिवहन एजेंट होने के नाते व्यापार करने की सीमा के विपरीत है। उन्होंने अनुलग्नक-1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने कम दर पर काम करने से इनकार कर दिया था। प्रस्तुतिकरण इस प्रकार है कि बातचीत के अनुसरण में उनके द्वारा दी गई दर को पहले जिला परिवहन समिति द्वारा 14.11.2013 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार किया गया था और बाद में 'प्रतिवादी निगम' द्वारा अपने समझौते में स्वीकार किया गया था और इस तरह दरों को उसके द्वारा एकतरफा रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वह प्रस्तुत करता है कि पारित आदेश अवैध, मनमाने और रद्द किए जाने योग्य हैं।

15. प्रतिवादी नं. 5, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया। जिसके अनुसार, याचिकाकर्ता के साथ एक समझौते को निष्पादित किया गया था जिसमें उसे 16.12.2013 को परिवहन-सह-संचालन एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और समझौते में विशिष्ट प्रावधान था कि प्रतिवादी निगम द्वारा दर का कोई भी संशोधन याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी होगा। याचिकाकर्ता ने समझौते को स्वीकार कर लिया है और उस पर 16.12.2013 को हस्ताक्षर किए हैं, वह दरों के संशोधन को स्वीकार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

16. आगे तर्क यह है कि 'निगम' ने दीपक कुमार की दर को याचिकाकर्ता की दर से कम पाया, इसलिए उन्हें परिवहन-सह-संचालन एजेंट बनने की भी अनुमति दी गई और इसके अलावा, क्योंकि उनके द्वारा उद्धृत दरें याचिकाकर्ता की दर से कम थीं, इसलिए इसे संशोधित किया गया और याचिकाकर्ता को इसे स्वीकार करने का निर्देश दिया गया।

17. हमने पार्टियों को विस्तार से सुना है। इन तथ्यों से पता चलता है कि समस्तीपुर के राजस्व जिले में परिवहन-सह-संचालन एजेंट की नियुक्ति के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसके बाद 11.11.2013 को जिला मजिस्ट्रेट, समस्तीपुर की अध्यक्षता में जिला परिवहन समिति की बैठक हुई।

18. निविदा खोलने और अनिवार्य/तकनीकी बोलियों को देखने के बाद, तीन बोलीदाताओं को निविदा सूचना के अनुसार पाया गया, जिसके बाद वित्तीय बोलियां खोली गईं। हस्ताक्षर पूरा होने के बाद, जिला परिवहन समिति ने ऐसे तीनों निविदा पत्र राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर को सौंप दिए।

19. तीन निविदाकारों में से, अर्थात् दीपक कुमार, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता एवं नबीन भरोस चौधरी(यहाँ पर यचिकाकर्ता) जहाँ तक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का संबंध हैं, यह पाया गया कि 2011 की पूसा थाना वाद सं. 291 दिनांक 09.08.2011 को उनके खिलाफ पी डी एस प्रणाली के तहत खाद्न्न् की कालाबाजारी से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराएँ 406/409/419/420 एवं 7 के तहत प्रारंभ किया गया एवं उस पृष्ठभूमि में, उनकी निविदा को रद्द किया गया।

20. दूसरे व्यक्ति, दीपक कुमार के बारे में, न्यूनतम गारंटी संचालन व्यय रुपये 2, 000/- प्रति ट्रक के रूप में उल्लिखित किया गया था। जो 'निगम' द्वारा जारी निविदा शर्त के खंड 7 का उल्लंघन था। इसके अलावा, जिन ट्रकों के लिए पंजीकरण संख्या प्रस्तुत की गई थी, उनके परमिट की प्रति तकनीकी रूप में संलग्न नहीं की गई थी। उस पृष्ठभूमि में यह भी कि उन्हें पहले पत्र संख्या 8725 दिनांक 28.09.2013 के माध्यम से पटना द्वारा काली सूची में डाल दिया गया था और उनके भाई पर 'निगम' के सीएमआर का बकाया रु. 11,21,41,193.03 था, उनकी निविदा भी अस्वीकार कर दी गई थी।

21. इसने समिति के पास याचिकाकर्ता (नबीन भारोस चौधरी) की केवल एक निविदा छोड़ दी, जिसके बाद 'समिति' निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंची जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई अनुवादित प्रति से निकाली गई है और निम्नानुसार पढ़ी गई हैः

> "उपरोक्त परिस्थितियों में, मुख्य प्रापण(अधिप्राप्ति) का पए सं. 9602, दिनांकित 24.10.2013 के खंड 5 में निहित निर्देश की शर्तों में अतिरिक्त समाहर्ता(आपदा) जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खद्य निगम-सह-संयोजक, समस्तीपुर की 3 सदस्यीय समिति के साथ दर कम करने के लिए चर्चा को सर्वसम्मति से मंजूरी दी जाती है एवं गठित समिति से चर्चा के उपरांत अनुशंसा एवं सहमति पत्र जिला परिवहन समिति को 14.11.2013 को समर्पित की जाएगी।
>
> इस बैठक के तहत कार्यवाही एतत द्वारा समाप्त किया जाता है।"

22. इसके बाद समिति की कार्यवाही जिला दंडाधिकारी, समस्तीपुर की अध्यक्षता में 14.11.2013 को हुआ। याचिकाकर्ता के साथ बातचीत हुई जिसके बाद यह दर्ज किया गया कि वह कम दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है और इस प्रकार 'समिति' ने निम्नलिखित शर्तों में निर्णय लिया और अनुवादित प्रति को नीचे शामिल किया गया हैः

> "1. यदि श्री चौधरी की निविदा बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, मुख्यालय, पटना द्वारा स्वीकार की जाती है, तो कार्य आदेश जारी करने से पहले, वैध दस्तावेजों (जैसे मालिक की पुस्तक, अद्यतन कर टोकन, परमिट, बीमा, फिटनेस, श्रम प्रमाण पत्र, आदि) की सत्यापित प्रतियां जमा करने के लिए परिवहन-सह-प्रबंधन के लिए इच्छुक 35 वाहन मालिकों के साथ समझौते के तहत उनके द्वारा लिए गए वाहनों से संबंधित सभी विवरण। श्री नवीन भारोस चौधरी द्वारा राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. उपरोक्त के अलावा, भविष्य में यदि निगम को परिवहन-सह-संचालन के लिए और वाहनों की आवश्यकता है, तो श्री चौधरी इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और व्यवस्था किए गए वाहन के लिए समझौते के साथ, वाहन से संबंधित उपरोक्त सभी वैध दस्तावेज राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर को भेजे जाएंगे।

3. निविदा शर्तों के अनुसार, कार्य आदेश लेने से पहले, वह सभी संबंधित वाहनों पर जी. पी. एस. प्रणाली लगाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें निगम के निर्देशों के अनुसार चित्रित किया गया है।"

23. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों की संतुष्टि के लिए काम करना शुरू कर दिया। रिट याचिका के अनुसार, दीपक कुमार जिनकी निविदा खारिज कर दी गई थी, बाद में 2014 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 2922 में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चले गए और कुछ तर्क के बाद, उन्हें वापस ले लिया गया।

24. यद्यपि याचिकाकर्ता को निविदा आवंटित किए जाने के दो वर्ष पश्वात् एवं उसी को चुनौती देने वाली उसकी रिट याचिका को रद्द किया गया, दीपक कुमार के एक शिकायत पर, निगम ज्ञाप सं.9848, दिनांकित 10.08.2015 के माध्यम से प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर के वहत याचिकाकर्ता को नोटिस पर रखे बिना एक गुप्त आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि दीपक कुमार के साथ न्याय नहीं किया गया था क्योंकि उसके दर न्यूनतम थे, जबकि जिला परिवहन समिति ने निविधकार (इसमें याचिकाकर्ता) की अनुशंसा की जिनके दर शिकायतकर्ता से अधिक थे, जो निगम के हित में नहीं था। तदनुसार, निम्नांकित आदेश पारित किए गए एवं अनुवादित प्रति निम्नानुसार पढी गईः

"जिला परिवहन समिति द्वारा की गई सिफारिश के खिलाफ श्री दीपक कुमार ने पत्र संख्या 4023 दिनांक 14.11.2013 के माध्यम से शिकायत जिला परिवहन समिति, समस्तीपुर की बैठक के बाद दर्ज कराई थी। उपरोक्त शिकायत के आलोक

में, 05.08.2015 को, ट्रासनपोर्ट-कम-हैंडलिंग एजेंट, समस्तीपुर की नियुक्ति के लिए दीपक कुमार की शिकायत उनकी उपस्थिति में सुनी गई, जिसमें निगम की ओर से निगम के अधिकारी उपस्थित थे। आवेदक का तर्क है कि तकनीकी रूप से उसकी निविदा सही पाए जाने पर उसकी वित्तीय बोली खोली गई थी। जिला परिवहन समिति, समस्तीपुर की कार्यवाही के भाग 1 में इसका उल्लेख है। ट्रकों के परमिट की अनुपलब्धता के कारण, उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, हालांकि चालान का सबूत प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त के अलावा, आवेदक का तर्क यह भी है कि जिस परिवहन ठेकेदार की निविदा स्वीकार कर ली गई थी, 15 ट्रकों से संबंधित दस्तावेज निविदा के संदर्भ में नहीं थे। आवेदक ने कहा है कि निगम ने अन्य जिलों में 0-10 किलोमीटर के न्यूनतम गारंटी स्लैब को मंजूरी दी है। इसलिए, उक्त आधार पर, आवेदक की निविदा की अस्वीकृति का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा, उसके भाई की गलती के आधार पर अस्वीकृति का भी कोई औचित्य नहीं है।

आवेदक को सुनने के बाद और अभिलेखों और संचिका के अवलोकन के बाद, यह पाया जाता है कि आवेदक (निविदाकार) दीपक कुमार के मामले में न्याय नहीं हुआ है। जिला परिवहन समिति ने आवेदक की तकनीकी बोली को गैर-उत्तरदायी पाए जाने के बावजूद, आवेदक की वित्तीय बोली खोली, जिसकी दर सबसे कम थी। जिला परिवहन समिति ने शिकायतकर्ता की दर से अधिक दरों पर निविदाकार की सिफारिश की है, जो निगम के हित में नहीं है। सभी पहलुओं और दस्तावेजों पर विचार करने पर निम्नलिखित आदेश पारित किए जाते हैंः

1. 7 वाहनों के सत्यापन के बाद, शिकायतकर्ता दीपक कुमार को निम्नलिखित सबसे कम परिवहन दरों और शर्तों पर, दीपक कुमार को मौजूदा परिवहन-सह-हैंडलिंग

एजेंट श्री नवीन भारोस चौधरी के समझौते की शेष अवधि के लिए परिवहन-सह-हैंडलिंग एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री नवीन भारोस चौधरी द्वारा जमा किए गए 15 ट्रकों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

3. अनुमोदित परिवहन दर

दूरी स्लैब (किलोग्राम प्रति किलोमीटर)	परिवहन दर प्रति किलोमीटर घटाई गई	9 मीट्रिक टन के न्यूनतम भार के लिए न्यूनतम गारंटी
0 से 10 किलोमीटर तक		रुपया 1500
0 से 20 किलोमीटर तक	1.30 पैसे	
0 से 50 किलोमीटर तक	93 पैसे	
0 से 100 किलोमीटर तक	63 पैसा	
100 किलोमीटर से अधिक	60 पैसा	

4. उपरोक्त स्वीकृत न्यूनतम परिवहन दर मौजूदा/कार्यरत परिवहन-सह-संचालन एजेंट नवीन भारोस चौधरी और विक्रम कुमार चौधरी पर लागू होगी। समझौते की अन्य शर्तें पहले जैसी ही बनी रहेंगी।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर को निर्देश दिया जाता है कि 15 दिनों के भीतर एक समझौते को निष्पादित करने के लिए आवश्यक स्टाम्प पेपर पर आवश्यक मूल दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, यदि समझौते को निर्दिष्ट समय के

भीतर निष्पादित नहीं किया जाता है, तो नियुक्ति के लिए उनका दावा मान्य नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समझौते के बाद, आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के साथ संलग्न की गई एक प्रति मुख्यालय को भेजी जाती है।

1. प्रतिभूति के संदर्भ में, रुपये 7,00,000 की राशि के लिए एक बैंक ड्राफ्ट बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति लिमिटेड के पक्ष में देय।

3. 3.50- 3.50 (तीन लाख पचास हजार-तीन लाख पचास हजार) 2 प्रतिभूति बंध(प्रतिमू बंधन पत्र)।

4. रु. 10,00,000 (दस लाख) बैंक गारंटी जो समझौते की अवधि की अंतिम तिथि तक वैध होगी।

5. रु. 25,00,000-(पच्चीस लाख) मूल्य की व्यक्तिगत संपत्ति जो निगम के पक्ष में गिरवी रखी जाएगी/प्रतिभूत की जाएगी।

समझौते की एक प्रति संलग्न की जा रही है। समझौते के बाद, समझौते के साथ आवश्यक दस्तावेज निगम मुख्यालय को भेजे जाएं, कृपया सुनिश्चित करें।

25. इसके बाद 'निगम' के जिला प्रबंधक द्वारा जारी परिणामी पत्र/आदेश जारी किया गया, जिसके द्वारा रु. 1,54,37,557/- की माँग की गयी थी। इसे अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से अभिलेख पर लाया गया है।

26. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश पारित करते समय, 'निगम' के प्रबंध निदेशक ने याचिकाकर्ता को नोटिस पर रखने की जहमत भी नहीं उठाई और एकतरफा निर्णय उनके द्वारा लिया गया था।

27. यह हमें केवल एक निष्कर्ष पर ले जाता है, आदेश/ज्ञापन संख्या 9848 दिनांक 10.08.2015 निगम द्वारा अपने प्रबंध निदेशक पर निवेश की गई शक्ति का पूर्ण दुरुपयोग है, जो दो साल पहले जिला परिवहन समिति की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा लिए गए निर्णय के फैसले में सदस्य थे।

28. यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि उक्त दीपक कुमार द्वारा दायर रिट याचिका दायर करने के बावजूद उच्च न्यायालय द्वारा उनकी निविदा की अस्वीकृति को खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए, प्रबंध निदेशक ने टिप्पणी करने का फैसला किया कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया है। उक्त दीपक कुमार ने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की और इसे वापस ले लिया, तो उसे प्रतिवादी प्राधिकारी के समक्ष शिकायत करने से रोक दिया जाएगा। क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं मांगी गई थी या उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षित नहीं थी। इसके अलावा, प्रबंध निदेशक इतनी जल्दबाजी में था कि उसने दरों में संशोधन करने और इसे पूर्वव्यापी रूप से उस पर लागू करने से पहले याचिकाकर्ता को नोटिस पर रखने की जहमत नहीं उठाई।

29. इस प्रकार यह न्यायालय मानता है कि 'निगम' के प्रबंध निदेशक ने एकतरफा निर्णय लेकर और याचिकाकर्ता को दीपक कुमार द्वारा उद्धृत कम दर पर काम करने का निर्देश देकर एक अवैध आदेश पारित किया, जिसने उत्तरदाताओं को दरों के आधार पर राशि की मांग करने के लिए भी प्रेरित किया। इस प्रकार यह उस पर बाध्यकारी नहीं होगा। हमारा यह भी मानना है कि 'निगम' को रुपये 1,54,37,557/- की राशि की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।

30. स्पष्टतः तत्कालीन प्रबंध निदेशक अव्यकत उद्देश्य से आदेश पारित करने में उन्हें प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किया। हम उस प्रबंध निदेशक जिसने पार्टी प्रतिवादी के तौर पर आदेश नाम द्वारा पारित किया पर मुकदमा चलाना चाहते थे एवं उन्हें अधिसूचना

पर रखा, लेकिन निगम का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शैलेंद्र कुमार सिंह यह सूचित किया गया है कि सज्जन तब से सेवानिवृत्त हैं। और उसे पार्टी प्रतिवादी के रूप में नोटिस पर रखा, लेकिन 'निगम' का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने सूचित किया है कि सज्जन तब से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

31. निगम (जहाँ तक यह याचिकाकर्ता को दिए गए निर्देश से संबंधित है) के प्रबध निदेशक द्वारा ज्ञाप सं.9848, दिनांकित 10.08.2015 के माध्यम से पारित आदेश के रुप भी प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पारित परिणामी पत्र सं. 3081 दिनांकित 13.03.2019 एवं ज्ञाप सं. 3081 दिनांकित 13.03.2019 एवं ज्ञाप सं. 221, दिनांकित 14.03.2019 को रु.50,000/- की लागत के साथ, जो बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम पर लगाए गए थे, को रद्द किया जाता है जो संबंधित के प्रस्तुतिकरण के तारीख के तीन महीनों के भीतर याचिकाकर्ता को देय होगा। यह निगम के लिए है कि कानूनों के अनुसार गलती करने वाले अधिकारियों से, यदि वह चाहती है तो, राशि की वसूली के लिए उचित कदम उठाए। .

32. रिट याचिका की अनुमति है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रॉय, न्यायाधीश)

किरान/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।